

प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय पोखरैरा, मुजफ्फरपुर।

शिक्षा विभाग

अभिरूचि की अभिव्यक्ति

(Expression of Interest)

राज्य के सरकारी विद्यालयों के विभिन्न प्रकार के सेवाकालीन शिक्षकों/प्रधानाध्यापकों/अन्य का प्रशिक्षण प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय पोखरैरा, मुजफ्फरपुर में संचालित हो रहा है।

शिक्षकों के प्रशिक्षण के बेहतर संचालन हेतु महाविद्यालय को साधनसेवी (Resource Person) के रूप में विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों एवं प्रशिक्षण संस्थानों के अवकाश प्राप्त प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता अथवा एम0ए0- एम0एड0 अनुभवी योग्यताधारी साधनसेवी की आवश्यकता है। इस कार्य के लिए साधनसेवी को मानदेय के रूप में 500 रु0 प्रति कक्षा एवं एक दिन में अधिकतम 1000 रु0 (मासिक अधिकतम 24,000/-रुपये मानदेय देय होगा)। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का भत्ता एवं सुविधा देय नहीं होगा। भुगतान की राशि प्रशिक्षण के आवंटन के आधार पर किया जाएगा।

विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों एवं प्रशिक्षण संस्थानों के इच्छुक अवकाश प्राप्त प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता अथवा एम0ए0-एम0एड0 अनुभवी योग्यताधारी इच्छुक व्यक्ति अपना आवेदन महाविद्यालय के ईमेल आई0डी0 ptec.pokhraira@gmail.com पर या हाथो हाथ दिनांक 08.05.2024 दिन बुधवार संध्या 05 बजे तक जमा करना सुनिश्चित करें।

दिनांक 10.05.2024 दिन शुक्रवार अपराहन 01 बजे से महाविद्यालय के चयन समिति के द्वारा साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा। यह चयन अस्थायी सेवा के रूप में लिया जाएगा एवं SCERT के द्वारा संचालित प्रशिक्षण तक ही मान्य होगा। प्रशिक्षण बंद होने की स्थिति में सेवा स्वतः समाप्त मानी जाएगी एवं सेवा संतोषप्रद नहीं होने की स्थिति में भी एक दिन पूर्व सूचना देकर सेवा समाप्त कर दी जाएगी। इसके लिए महाविद्यालय प्रबंधन स्वतंत्र होगा।

दिनांक 10.05.2024 को उपस्थित नहीं होने वाले अभ्यर्थियों के उम्मीदवारी पर बाद में कोई विचार नहीं किया जाएगा।

चयनित अभ्यर्थियों की सूची महाविद्यालय के वेबसाइट पर महाविद्यालय के चयन समिति के द्वारा चयनित एवं प्रतिकारत अभ्यर्थियों की सूची दिनांक 11.05.2024 दिन शनिवार को महाविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा।

चयनित अभ्यर्थी दिनांक 13.05.2024 दिन सोमवार प्रातः 8 बजे योगदान देना सुनिश्चित करेंगे। यदि चयनित अभ्यर्थी अपना योगदान निर्धारित तिथि को नहीं करते हैं। इस स्थिति में प्रतिकारत अभ्यर्थियों को दूरभाष के माध्यम से सूचना देकर योगदान कराना सुनिश्चित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में पूर्व चयनित साधनसेवी का दावा स्वतः निरस्त माना जायेगा। यदि भविष्य में योगदान किये गये साधनसेवियों के द्वारा प्रशिक्षण के दौरान बीच में ही छोड़ देने के स्थिति में प्रतिकारत चयनित अभ्यर्थियों को योगदान हेतु दूरभाष के माध्यम से सूचना देकर योगदान कराना सुनिश्चित किया जाएगा।

योगदान के पाश्चात् प्रशिक्षण के दौरान यदि कोई भी साधनसेवी बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी प्रतिकारत अभ्यर्थियों को साधनसेवी के रूप में महाविद्यालय के द्वारा योगदान कराया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में प्रशिक्षण बाधित न हो जिसके लिए महाविद्यालय प्रबंधन उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। इसके लिए किसी भी उम्मीदवार का आपत्ति या दावा मान्य नहीं होगा।

प्रभारी प्राचार्य

प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय  
पोखरैरा, मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांक 359 पोखरैरा, मुज0/दिनांक...01.05.2024

प्रतिलिपि:- निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, महेन्द्र, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि:- जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, (स्थापना) मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ कार्यार्थ सादर समर्पित।

प्रभारी प्राचार्य

प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय,  
पोखरैरा, मुजफ्फरपुर।

11/5/24